न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारीः राकेश कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
116/2022 (GCMS 2022/116)	09.05.2022	14.02.2024

उनवान

सरकार जरिये श्री महेश कुमार सिहाग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1–श्री सत्यनारायण आगाल पुत्र रामचन्द्र आगाल, मैसर्स महेश किराणा स्टोर, न्यू क्लॉथ मार्केट, चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–श्री इशरलाल झमकुलाल, जगदीश चन्द्र 3, न्यू क्लॉथ मार्केट, चित्तौड़गढ़ (राज.)
3–श्री हरेन्द्र सिंह, नोमिनी श्री हरी इण्डस्ट्रीज, मालगोदाम रोड़, भरतपुर (राज.)
4–श्री हरी इण्डस्ट्रीज (हरी ऑयल मिल्स), मालगोदाम रोड़, भरतपुर (राज.)

अप्रार्थीगण

–:: जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 ::–

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी महेश कुमार सिहाग ने परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इन्हें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन दिनांक 25.07.2011 के गजट में भाग 2 (क) पर इनका नाम प्रकाशित हुआ है एवं निदेशालय के आदेश कमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2021/175 दिनांक 26.05.2021 के द्वारा इनका कार्य क्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र आंवटित किया गया है तथा सम्पूर्ण चित्तौड़गढ़ जिला इनके कार्य क्षेत्र में आता है। आवेदक

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 03.06.2021 को समय 02.00 पी. एम. पर मैसर्स महेश किराणा स्टोर, न्यू क्लॉथ मार्केट, चित्तौड़गढ़ का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय श्री सत्यनारायण मौजूद था जिसे अपना परिचय दिया। प्रतिष्ठान/विक्रेता से खाद्य अनुज्ञा पत्र प्राप्त किया। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के समय विक्रय किये जा रहे खाद्य पदार्थ सरसों का तेल (इंजिन) में मिलावट का संदेह होने पर विक्रय हेतु रखे 1–1 लीटर की कुल 20 प्लास्टिक बोतलों में से 4 बोतल जांच जांच हेतु खरीदी जिसकी कीमत के रूपये 800/– भुगतान कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर हैं एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। ये रसीद न्याय निर्णयन आवेदन के संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म संख्या 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री सत्यनारायण ने पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5ए की एक प्रति विक्रेता श्री सत्यनारायण को देकर रसीद प्राप्त की जो फार्म संख्या 5ए एवं फर्द रिपार्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ सरसों का तेल (इंजिन) की चारों बोतलों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के कोड एवं क्रमांक ए एम–1315 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये। चारों नमूनों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहीत अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए एम–1315 नियमानुसार चारों नमूना बोतलों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना बोतल को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना बोतल पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर पर आवे। चारों बोतलों पर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना बोतलों को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की सात प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील अंकित की, जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर कार्यालय खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर राज. को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर कार्यालय खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर को जमा कराकर फार्म

संख्या 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो भाग (ii-iii) नमूना पैकेटों मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर एवं iv पार्ट मय फार्म संख्या 6 के सील बन्द कर अभिहीत अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी से प्राप्त मुख्य खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/131/एक्ट/2021/137 दिनांक 15.06.2021 के अनुसार ज्ञात हुआ कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिया गया उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना मिसब्राण्ड (Misbranded) होना पाया गया। जाँच रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रतियां संलग्न है। अभिहित अधिकारी ने श्री सत्यनारायण को नमूना पुनः जांच का नोटिस भेजा जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण के संबंधित समस्त दस्तावेज अभिहीत अधिकारी को पेश किये। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ ने पत्रांक/एफएसएसए/2022/1560 दिनांक 18.04.2022 से आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस मे न्याय निर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। उक्त प्रकरण में उक्त अभियुक्तगण ने मिसब्राण्ड (Misbranded) सरसों तेल (इंजिन) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(II) का उल्लघंन किया है जो कि धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने योग्य अपराध है। अतः अभियुक्तगण को अधिकतम जुर्माना करने की कृपा करें ताकि मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ के निर्माण एवं विक्रय को रोका जा सके।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद के समर्थन में गवाहान की शहादत हेतु शहादत सूची प्रस्तुत की गई जो कि शामिल पत्रावली है। शहादत सूची के अनुसार गवाह संख्या 1 महेश कुमार सिहाग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ गवाह संख्या 2 डॉ. रामकेश गुर्जर, अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ तथा अपने परिवाद के समर्थन में समस्त संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये जो रेकार्ड पर है।

इस पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ द्वारा प्रस्तुत परिवाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड ए. डी. के माध्यम से सूचना पत्र/नोटिस प्रेषित किए गए। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने स्वयं उपस्थित होकर जवाब पेश किया उसके पश्चात् उपस्थित नहीं हुए। अप्रार्थी संख्या

3 व 4 की ओर से अधिवक्ता श्री अविनाश नैनीवाल ने अधिकार पत्र एवं जवाब तथा लिखित बहस प्रस्तुत की। उसके पश्चात् अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के अधिवक्ता भी बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए। अतः अप्रार्थीगण के बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। अतः बहस प्रकरण खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुनी गई।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अप्रार्थीगण द्वारा मिसब्राण्ड सरसों तेल (इंजिन) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(II) का उल्लघंन किये जाने से धारा 52 के तहत अधिकतम जुर्माना करने का निवेदन किया।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने जवाब पेश किया कि उनकी फर्म से सरसों तेल (इंजिन) का जो नमूना लिया गया वह खाद्य पदार्थ उनके द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 व 4 से बिल के द्वारा क्रय किया है तथा सील पैक अवस्था में खरीद कर सील पैक अवस्था में ही बेचा जाता है। अतः माल के उपर लगे लेबल पर किसी प्रकार की कानूनी अवहेलना अथवा कोई कमी पाई जाती है तो यह जिम्मेदारी निर्माता कम्पनी की बनती है अतः अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को प्रकरण से मुक्त करने का आदेश प्रदान करावें।

अप्रार्थी संख्या 3 व 4 ने अपनी लिखित बहस में मुख्य बिन्दु यह अंकित किया कि परिवादी द्वारा जो परिवाद पेश किया है उसके अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा व नियमों की पालना किए बिना प्रस्तुत किया है जिस खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लिया गया उसकी योग्यता Sanitary Inspector के तौर पर होना बताया है अर्थात् खाद्य सुरक्षा के नियम 2.1.3 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की जो योग्यताऐं होनी चाहिए वह नमूना लेने वाले खाद्य सुरक्षा अधिकारी मे नहीं है। फार्म संख्या 5ए की प्रति अप्रार्थी संख्या 3 व 4 को नहीं दी गई जो कि नियम 2.4.1.3 का उल्लंघन होकर अपोषणीय होने से परिवाद खारिज योग्य है तथा खाद्य विश्लेषक ने अपनी रिपोर्ट में ऐसा कोई कारण नहीं दिया जो यह साबित करता है की प्रस्तुत प्रकरण किस कारण मिसब्राण्ड की परिभाषा में आता है। अतः प्रकरण खारिज फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी विधिक प्रावधानों के तहत उक्त फर्म के खाद्य पदार्थ का नमूना लिये जाने के लिये अधिकृत है जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 1 जिसके अन्तर्गत गजट नोटिफिकेशन प्रतियाँ, पदस्थापन कार्यक्षेत्र आवंटन आदेश की छायाप्रतियों से होती है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित

गजट नोटिफिकेशन दिनांक 25.07.2011 के तहत आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर के आदेश क्रमांक/एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.07.2011 से श्री महेश कुमार सिहाग, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की है तथा निदेशालय के आदेश क्रमांक/संस्था/एफएसएसए/2021/175 दिनांक 26.05.2021 से श्री महेश कुमार सिहाग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी का पदस्थापन कार्यालय अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के अधीन किया गया है। अतः अप्रार्थी संख्या 3 व 4 का कथन कि नमूना लेने वाले खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पास खाद्य सुरक्षा अधिकारी की योग्यताऐं नहीं है मानने योग्य नहीं है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 2 एवं 3 फार्म नंबर 5 ए एवं नमूना क्रय रसीद की प्रति से जाहिर होता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता/मालिक को खाद्य पदार्थ सरसों तेल (इंजिन) का नमूना वास्ते जांच लेने हेतु सूचना दी गई जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 के हस्ताक्षर है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लिये जाने हेतु विक्रेता/मालिक से नियमानुसार खाद्य पदार्थ क्रय किया गया जिसकी पुष्ठि दस्तावेज क्रमांक 3 से होती है, उस पर भी विक्रेता शहादत के रूप में हस्ताक्षर है, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 4 से जाहिर होता है कि उक्त कार्यवाही दिनांक 03.06.2021 को मौके पर की गई। दस्तावेज क्रमांक 4 मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 03.06.2021 से जाहिर होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ सरसों तेल (इंजिन) जिसका नमूना खरीद बिल पत्रावली पर उपलब्ध है से क्रय किया एवं उस पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-1315** नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार ब्रास सील संख्या 35 से सील चपडी किया। इससे स्पष्ट होता है कि खाद्य पदार्थ को नियमानुसार सील किया गया है। हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 5 फार्म नंबर 6 की प्रति का अवलोकन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा स्वयं आउटर कवर में सील बंद नमूने फार्म नंबर 6 एवं सील्ड लिफाफे खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को नमूना क्रमांक **AM-1315** मय लिफाफे के जमा कराये गये। जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 5 से होती है। हमने खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर की रसीद दस्तावेज क्रमांक 5 का अवलोकन किया जिससे जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा स्वयं उक्त नमूना मय लिफाफे के दिनांक

03.06.2021 को जमा कराया गया। हमने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नियम 2.4.1(10)(ii) एवं 2.4.1(10)(iii) के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की रसीद दस्तावेज क्रमांक 6 का अवलोकन किया जिससे जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी से लिये गये शेष 3 नमूनों एवं फार्म संख्या 6 की प्रतियों को नियमानुसार अभिहित अधिकारी को जमा कराये गये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 7 से 9 के अवलोकन से जाहिर होता है कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/एफएसएसए/2021/2704 दिनांक 08.07.2021 से अप्रार्थी संख्या 1 को खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या **LS 131/ACT 2021/137 Dated 15-06-2021** की प्रति जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की गई है, उक्त पत्र रिकार्ड पर है। हमने खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट **LS 131/ACT 2021/137 Dated 15-06-2021** का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट एवं मतानुसार :–

Report No LS 131/Act 2021/137 Dated 15-06-2021

Certified that I RAVI SETHI duly appointed as under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) for RAJASTHAN STATE received from Sh. Mahesh Kumar Food Safety Officer District Chittorgarh, a sample of Kachi Ghani Mustard Oil (Engine) bearing code no, and serial no. AM- 1315 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O, of District Chittorgarh on 03-06-2021 for analysis

The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows Brass Seal No 35 Intact and unbroken. Tlie seals fixed on the container and outer cover tallied with the specimen seal impression sent separately, along with the copy of the memorandum, in sealed envelope.

I found the sample to be Fat, oils and fat emulsion falling under Regulation No. 2.2.1.6 Mustard Oil of Food Safety and Standards (food products standards and food additives) Regulations 2011. The sample was in a condition fit for analysis and has been analyzed on 07-06-2021 to 15-06-2021 and the result of its analysis is given below-

ANALYSIS REPORT---

(i) Sample description:- The sample (1 lit.) packed in narrow mouth plastic bottle with lid.

(ii) Physical appearance:- The sample is liquid, free from suspended matter, separated water.

(iii) Label :-- Brand Engine Kachi Ghani, Name of food- Mustard Oil, Mfg. & Pkd by- Shree Hari Industries (Hari oil Mills) Malgodown Road, Bharatpur – 321001 (Raj.), Pkd. on.-01/04/2021, Batch No.- 56, Best Before 12 months from packaging, Green symbol of veg.- Present, Nut. Information- Given, Fssai Lic no.- 10012013000119, Bar code - 8906020930094. CA No. – J4653, printed on the label Representative sample tested in competent laboratory and certified unadulterated Mislead to consumer. Contravention to Regulation 2.2.1(3) & 2.3.1(1) of Food Safety & Standards (Packaging and Labelling) Regulations 2011.

Opinion:- The sample of Kachi Ghani Mustard Oil (Engine) Bearing code no. and serial no. AM-1315 of Designated office (Food Safety) Cum C.M.&H.O of District Chittorgarh is Misbranded Food. The sample is Misbranded food under section 3(1)(zf)(A)(i)(a)&(C)(i) of the Food Safety & Standards Act 2006.

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि उनके द्वारा लिया खाद्य पदार्थ का नमूना जो कि ब्रास सील संख्या 35 से सील्ड अवस्था में खाद्य विश्लेषक को प्राप्त हुआ, उक्त नमूना दिनांक 07.06.2021 से 15.06.2021 तक जांच के लिये उपयुक्त था। उक्त नमूने के संबंध में खाद्य विश्लेषक द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि Brand Engine Kachi Ghani, Name of food- Mustard Oil, Mfg. & Pkd by- Shree Hari Industries (Hari oil Mills) Malgodown Road, Bharatpur – 321001 (Raj.), Pkd. on.-01/04/2021, Batch No.- 56, Best Before 12 months from packaging, Green symbol of veg.- Present, Nut. Information- Given, Fssai Lic no.- 10012013000119, Bar code - 8906020930094. CA No. – J4653, **printed on the label Representative sample tested in competent laboratory and certified unadulterated Mislead to consumer. Contravention to Regulation 2.2.1(3) & 2.3.1(1) of Food Safety & Standards (Packaging and Labelling) Regulations 2011.**

उक्त नमूना जिस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-1315** चस्पा है सरसों तेल (इंजिन) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zf)(A)(i)(a)&(C)(i) के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) स्तर का पाया गया है। अभिहित अधिकारी द्वारा उक्त रिपोर्ट पत्रांक/एफएसएसए/2021/2704 दिनांक 08.07.2021 से अप्रार्थी संख्या 1 को प्रेषित की गई का अवलोकन किया, जिसमें अभिहित अधिकारी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की एवं रेफरल खाद्य प्रयोगशाला से जांच कराये जाने के संबंध में अवगत कराया गया। अतः अप्रार्थी संख्या 3 व 4 का कथन की फार्म संख्या 5 ए की प्रति नहीं दी तथा धारा 46(4) के तहत नमूना पुनः जांच की सूचना नहीं दी मानने योग्य नहीं है। इस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/एफएसएसए/2022/1560 दिनांक 18.04.2022 द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 36 की उपधारा 3(**e**) के तहत अभियोजन आवेदन प्रस्तुत किये जाने की अभियोजन स्वीकृति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दी जाकर अधिकृत किया गया है जो कि दस्तावेज क्रमांक 15 अभियोजन स्वीकृति होकर रिकार्ड पर है। अतः यह तथ्य निर्विवाद रूप से न्यायालय के समक्ष प्रकट होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप स्तर का है एवं हम खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा किये गये अनुसंधान से पूर्ण रूप से संतुष्ट है, ऐसी स्थिति में हमारा अभिमत है कि पत्रावली में किसी भी प्रकार अतिरिक्त साक्ष्य एवं शहादत की आवश्यकता नहीं है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 में खाद्य पदार्थो के आयात एवं धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्त्ता के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्त्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य वस्तुएं इस

अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों कि अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार को अंदर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों को पूरा करती है एवं निर्माता को निर्माण/पैकिंग के समय ही लेबल पर नियमानुसार सभी आवश्यक पूर्तियां करनी चाहिये थी, अधिनियम के अनुसार खाद्य पदार्थ विक्रेता/निर्माता को उक्तानुसार विधि की पालना किया जाना अपेक्षित है, किन्तु अप्रार्थी का भी यह दायित्व बनता है कि वह आयातित खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु प्रदर्शित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करे कि उक्त खाद्य पदार्थ पर नियमानुसार पूर्ति है अथवा नहीं, किन्तु इनके द्वारा इसकी जांच नही कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किया गया है।

अतः उक्त प्रावधानों के तहत् अप्रार्थीगण को दोष मुक्त नही किया जा सकता है। अतः अप्रार्थीगण को उक्त खाद्य पदार्थ के विक्रय करने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किये जाने का दोष प्रमाणित माना जाता है ऐसी स्थिति में विपक्षीगण/अप्रार्थीगण जो कि उक्त खाद्य पदार्थ के विक्रेता/निर्माता है जिससे अप्रार्थी संख्या 1–श्री सत्यनारायण आगाल पुत्र रामचन्द्र आगाल, मैसर्स महेश किराणा स्टोर, न्यू क्लॉथ मार्केट, चित्तौड़गढ़ (राज.), अप्रार्थी संख्या 2–श्री इशरलाल झमकुलाल, जगदीश चन्द्र 3, न्यू क्लॉथ मार्केट, चित्तौड़गढ़ (राज.), अप्रार्थी संख्या 3–श्री हरेन्द्र सिंह, नोमिनी श्री हरी इण्डस्ट्रीज, मालगोदाम रोड़, भरतपुर (राज.) एवं अप्रार्थी संख्या 4–श्री हरी इण्डस्ट्रीज (हरी ऑयल मिल्स), मालगोदाम रोड़, भरतपुर (राज.) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के दोष का दोषी पाया जाकर दोषसिद्धि घोषित की जाती है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के तहत दोष सिद्ध अभिुक्तगण को अधिनियम की धारा 52 के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के प्रावधान है। अतः हमने पत्रावली का अवलोकन कर अर्थदण्ड के बिन्दु पर चिंतन किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत दोष सिद्ध अभियुक्तगण को अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 49 में वर्णित तथ्यों के आधार पर दण्डित किये जाने के प्रावधान प्रावधित किये गये है। अतः अधिनियम की धारा 49 एवं 52 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय किये जाने से अभियुक्तगण **अप्रार्थी संख्या 1–**श्री सत्यनारायण आगाल पुत्र रामचन्द्र आगाल, मैसर्स महेश किराणा स्टोर, न्यू क्लॉथ मार्केट, चित्तौड़गढ़ (राज.) को राशि 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये, **अप्रार्थी संख्या 2–**श्री इशरलाल झमकुलाल, जगदीश चन्द्र 3, न्यू क्लॉथ मार्केट, चित्तौड़गढ़ (राज.) को राशि 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये, **अप्रार्थी संख्या 3–**श्री हरेन्द्र सिंह, नोमिनी श्री हरी इण्डस्ट्रीज, मालगोदाम रोड़, भरतपुर (राज.) एवं **अप्रार्थी संख्या 4–**श्री हरी इण्डस्ट्रीज (हरी ऑयल मिल्स), मालगोदाम रोड़, भरतपुर (राज.) को संयुक्त रूप से

राशि 30,000/– अक्षरे तीस हजार रूपये कुल 50,000/– अक्षरे पचास हजार रूपये मात्र के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता हैं।

अभियुक्तगण उपरोक्त अर्थदण्ड एक माह की अवधि में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के मार्फत राजकोष में जमा करावें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते है कि नियत समयावधि में शास्ति राशि जमा नही कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत् शास्ति राशि भू–राजस्व के बकाया की तरह वसूल करने की कार्यवाही करावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(राकेश कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जिला चित्तौड़गढ़